

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

वादी

बना  
म

प्रतिवादीगण

1. शिवजी पुत्र आईदान
2. घासीराम पुत्र आईदान
3. देवीराम पुत्र रूगनाथ जातियान-रेगर, निवासीगण-रास, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर (राज.)

1. लिछमण पुत्र आईदान
2. मोडा पुत्र हजारी
3. अर्जुन पुत्र संग्रामराम फौत के कायम मुकाम-
  1. अमानराम पुत्र अर्जुनराम
  2. रूपाराम पुत्र अर्जुनराम
  3. भंवरी पत्नी अर्जुनराम जातियान-रेगर, निवासीगण-रास, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर(राज.)
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

**राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**मु०न० :रा०वा० स०: 96/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक :-03/04/2025**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास प्रथम, पटवार हल्का-रास प्रथम, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1482 रकबा 17-10 बीघा, खसरा नम्बर 658 रकबा 11-19 बीघा, खसरा नम्बर 659 रकबा 15-17 बीघा, खसरा नम्बर 801/2 रकबा 2-09 बीघा की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	शिवजी हि. 1/2 लिछमण हि. 1/2 पि. आईदान कौम रेगर सा.देह खातेदार रहन शिवजी का हि. पीएनबी राबड़ियावास	801/2	0.3561	बा.दो.	0.09
		659	0.8580	से.अ.	0.86
		1482/2	0.7082	बा.दो.	0.18
	<b>योग</b>	<b>03</b>	<b>1.9223</b>		<b>1.13</b>
2.	कोयली पत्नि मोडाराम हि. 1/2 मोडाराम पुत्र हजारीराम हि. 1/2 कौम रेगर सा.देह खातेदार	1482/1	1.4164	बा.दो.	0.36
		<b>योग</b>	<b>01</b>	<b>1.4164</b>	<b>बा.दो.</b>



(रविप्रकाश RAS)  
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

3.	अमानराम पुत्र अर्जुन हि. 1/4,	658	0.3157	से.अ.	0.31
	रूपाराम पुत्र अर्जुन हि. 1/4, भंवरीदेवी पुत्री अर्जुन हि. 1/4, बुधराज माता चम्पा हि. 1/4 कौम रेगर सा.देह खातेदार रहन राज. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रास।	659/1	1.7077	से.अ.	1.71
	<b>योग</b>	<b>02</b>	<b>2.0234</b>	<b>से.अ.</b>	<b>2.02</b>
4.	घासीराम पुत्र रुघनाथ हि. 9/16, देवीलाल पुत्र रुघनाथ हि. 5/16, नौरतीदेवी पुत्री रुघनाथ हि. 1/16, लादडूदेवी पुत्री रुघनाथ हि. 1/16, कौम रेगर सा.देह खातेदार रहन घासीराम का हिस्सा पीएनबी राबड़ियावास	658/1	1.6187	से.अ.	1.62
	<b>योग</b>	<b>01</b>	<b>1.6187</b>	<b>से.अ.</b>	<b>1.62</b>
5.	घासीराम पुत्र रुघनाथ हि. 5/12, देवीलाल पुत्र रुघनाथ हि. 5/12, नौरतीदेवी पुत्री रुघनाथ हि. 1/12, लादडूदेवी पुत्री रुघनाथ हि. 1/12 कौम रेगर सा.देह खातेदार रहन घासीराम का हि. पीएनबी बैंक शाखा राबड़ियावास	1482	0.7082	बा.दो.	0.17
	<b>योग</b>	<b>01</b>	<b>0.7082</b>	<b>बा.दो.</b>	<b>0.17</b>

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।  
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/04/2025 को जारी



सहायक मुकदमा (रा.वा.स. 96/2018) एवं पदेन  
उपस्थान अधिकारी, उत्तराण  
सहायक जिला जेठ्याधर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	००	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

05-००

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।